न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 57/2021

1. मदन पुत्र बनवारी उम्र 38 साल जाति मीणा निवासी ग्राम खोह,तहसील उदयपरवाटी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम मदन अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 04/2021 निर्णय दिनांक 14.07.2021

उपस्थितिः–

1 श्री सुभाष पूनियां, एडवोकेट ––––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 13.12.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मदन मु0नं0 04/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। जमीन जैर बहस खसरा नंबर 74, 75 जो कि ग्राम खोह में है, इस जमीन पर आवासीय भूखण्ड थे। जिसमें तत्कालीन सरपंच भंवरसिंह द्वारा पट्टे जारी किये गये थे। फिर विवाद होने पर न्यायालय एसीजेएम उदयपुरवाटी में रामदेवा, गोकुल, रामकुमार, सुल्तान, मालाराम, नानूराम वगैरह द्वारा एक दावा उनवानी रामदेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.13 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

बनाम नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी व राजस्थान सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दर्ज किया गया था। जिसके मु0नं. 22/94 है और निर्णय दिनांक 3.8.2000 को न्यायालय द्वारा डिग्री किया गया था। विपक्षी तहसीलदार उदयपुरवाटी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। कि वह भूमि से बेदखल न करे। न्यायालय द्वारा उक्त आशय की डिग्री जारी की गयी थी। उपरोक्त वर्णित रामकुमार का देहांत हो चुका है। उक्त 1166 वर्गगज के पीछे भी सिवायचक पर इनका कब्जा था। अपीलांट ने दिनांक 22.2.2021 को 2 लोख 10 हजार रूपये देकर उपरोक्त वर्णित रामकुमार की पट्टेशुदा भूमि उनके वारिसान में पत्नी आभी देवी व पुत्र गीगाराम से खरीदी और सिवायचक सहित कुल 1785 वर्गगज भूमि खरीदी थी। जिस पर अपीलांट का कब्जा भी उसी रोज करवा दिया था जिस पर आज भी अपीलांट परिवार सहित काबिज है। अदालत मातहत ने पुराने कब्जे की जांच नहीं की है और राजनैतिक दबाव में दिनांक 14.07.2021 को प्रार्थी को जमीन जैर बहस से बेदखल करने के आदेश जारी कर दिये गये। प्रार्थी की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अदालत मातहत ने बेदखली का आदेश दिनांक 14.7.2021 पारित कर दिया। अपील में वर्णित जमीन के संबंध में सिविल न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध आदेश जारी करना सिविल न्यायालय की अवमानना है। कानूनी रूप से आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.07.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – विवादित भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा है। भूमि नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपील में वर्णित जमीन के संबंध में सिविल न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध आदेश जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.13 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

करना सिविल न्यायालय की अवमानना है। कानूनी रूप से आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.07.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से टीनसैड, छपर आदि बनाकर अतिक्रमण किया है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन विवादित भूमि खसरा नंबर 74, 75 ग्राम खोह जिसकी किस्म गैर मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि के संबंध में उसमें आबाद व्यक्तियों द्वारा सिविल न्यायालय, उदयपुरवाटी में बेदखली के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें बाद डिक्री बेदखली नहीं करने के लिए राज0 सरकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट ने विवादित भूमि पैसे देकर खरीदी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय का अवलोकन किया गया । तहसीलदार उदयुपरवाटी ने अपने निर्णय में सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में पारित आदेश के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 14.07.2021 मु. नं. 04/2021 सरकार बनाम मदन निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.13 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested

को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

13.12.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.13 17:07:01 IST
Reason: SelfAttested